TEN RUPEES

181

R. 3439-II/12

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

प्रकरण क्रमांक— /निग./2011—12

क्रमांक 2891
... द्वारा आज
दिनांक 1-10-12 को प्राप्त
1-10-12

1— छिद्दू, 2— बल्दू, 3— काशीराम उर्फ कसुवा पुत्रगण नथू ढीमर, 4—करंजू तनय मानिक ढीमर, निवासीयान ग्राम पूनोल हार तहसील लिधौरा जिला—टीकमगढ़ म.प्र. ....निगराकारगण

बनाम

बरजोरा तनय जग्गा ढीमर निवासीयान ग्राम पूनोल हार तहसील लिधौरा जिला—टीकमगढ़ म.प्र.

.......प्रतिनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता प्रतिकूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लिधौरा के प्र.क्र. 2/अ—12/2011—12 आदेश दिनांक 15—6—12 के विरूद्ध से परिवेदित एवं दुखित होकर।

महोदय,

निगराकारगण की ओर से विनय सादर निम्न प्रकार है :—

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान व पत्रावली के प्रतिकूल होने से निरस्ती योग्य है क्योंकि सीमाकन के समय सरहदी कृषकों एवं कब्जाधारी निगराकारगणों को कोई सूचना पत्र तामील नहीं कराया गया और न ही मौके पर उपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना दी गयी, अन्य लोगों को एकत्रित करके सीमांकन कर दिया गया। ऐसा आदेश हस्तक्षेप योग्य होने से निरस्ती योग्य है।

(2) यह कि केवल एंक आर्डर शीट दिनांक 15—6—12 की लेखकर आदेश कर दिया गया जबकि इस प्रकरण में दिनांक 6—6—2012 के आदेश के पालन में दिनांक 14—6—2012 को सीमांकन किया जाना पंचनामा में बताया गया तथा इसका प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 15—6—2012 में ही तैयार किया गया और उसी दिनांक को इश्तहार जारी किये वगैर ही सीमांकन स्वीकृत कर दिया गया, आपत्ति पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। मौके पर सीमांकन की स्थिति निर्मित करने के पूर्व कब्जाधारियों को व्यक्तिशः सूचना दिये जाने का प्रावधान है किन्तु यह समस्त कार्यवाही नहीं की गयी, इस तथ्य पर कोई विचार किये बिना ही सीमांकन आदेश पारित कर दिया गया। ऐसा आदेश प्रचलन योग्य नहीं होता है क्योंकि कब्जाधारी निगराकार को अपना पक्ष समर्थन रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया।

(3) यह कि भूमि खसरा नं. 234/6 स्थित ग्राम पूनोल हार का एक पट्टा निगराकार के पिता को शासन द्वारा प्राप्त हुआ था और उसी अनुसार मौके पर निगराकारगण काविज चले आ रहे हैं। इस पट्टे का रिकार्ड में कर्मचारियों द्वारा अमल नहीं किया गया, जबकि मौके पर निगराकार के द्वारा अपने कब्जे की भूमि पर भारी श्रम व रूपया खर्च करके विकास कार्य कर लिया, तथा एक स्थायी रूप से पक्के कुंये का निर्माण भी कर लिया। प्रतिनिगराकार ने निगराकार के इस कब्जे की भूमि पर नक्शा ट्रेस में काफी समय पूर्व बाला—बाला तरीके से तरमीम करा ली जिसकी भी कोई

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—3439— II /2012 जिला—टीकमगढ़

छिद्दू आदि विरूद्ध बरजोरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री राजेश सेन अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी तहसीलदार लिधौरा, जिला—टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 02/अ—12/2011—12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15—06—2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 7/3/19 सदस्य	